न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 69/2019

GCMS No. : 2019/00221

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. रूपाराम पुत्र भैराराम जी जाट मैसर्स राज किराणा स्टोर, एच पी गैस एजेन्सी के पास, रणकपुर, सादड़ी, पाली 2. खेताराम पुत्र मांगीलाल मैसर्स रतनराज एजेन्सी, रणकपुर रोड, वागावास अस्पताल के पास, सादडी, पाली 3. अरूण गोयल, मैसर्स नवदुर्गा ट्रेडर्स, डोरक्स ऑफसेट के पास, 15–16 डी. एन. कॉलेज रोड, सत्य नगर, हिसार (हरियाणा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. स्वयं
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक-2/3/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 30.11.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स राज किराणा स्टोर, एच पी गैस एजेन्सी के पास, रणकपुर रोड, सादडी, पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर घी (ब्राण्ड एजी) ब्रिकी करते हुए पाया, वहां पर लगभग 25 पैकेट घी के रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक में 200 एमएल घी है, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त घी में से 4 मूल घी (ब्राण्ड एजी) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी (ब्राण्ड एजी) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–860 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी (ब्राण्ड एजी) को Unsafe food under section 3(1) (zz)(iv) & Misbrand पाया गया। जिसे विक्रेता ने पुनः नमूना रेफरल प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया, जहां Sub Standrad does not conform and Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded घी (ब्राण्ड एजी) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.11.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर रूपाराम पुत्र भैराराम जाट (विक्रेता) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2018 को अप्रार्थी की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए घी (ब्राण्ड एजी) के चार पैकेट को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–860 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./982/एक्ट/2018/34 दिनांक 10.01.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–860 को "The sample of Ghee(Azee brand) bearing Code No- and Sr. No. R-860 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali Unsafe food under section 3(1)(zz)(c) (i) of Food Safety and Standards Act-2006." का माना है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा पुनः नमूना रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुणे से जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट क्रमांक आरएफएल/डीओ/120/ 19/256/2019 के अनुसार उक्त सेम्पल "Opinion : I am of the opinion that, the sample Ghee (Brand-Azee) bearing No. R-860, does not conforms to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence Sub-standard as per section 3(1)(zx) and misbranded as per section 3(1)(zf) (C) (i) of the Food Safety & standards Act-2006." पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घी (ब्राण्ड एजी) जो जॉच में Sub-Standard & Mis-branded पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded खाद्य वस्तु घी (ब्राण्ड एजी) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र कुल 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली